

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 713]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 18, 2015/कार्तिक 27, 1937

No. 713]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 18, 2015/KARTIKA 27, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2015

सा.कानि. 883(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और आयकर विभाग असांविधिक विभागीय कैंटीन भर्ती नियम, 2004 को उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, आयकर विभाग में असांविधिक विभागीय कैंटीनों में विभिन्न समूह 'ग' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर विभाग, असांविधिक विभागीय कैंटीन समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान. — उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा उससे संलग्न वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. लागू होना. — ये नियम इनसे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि. — भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं तथा इससे सम्बद्ध अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगी।

5. निरर्हता.—यह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है;

अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति—जहां केन्द्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

7. व्याप्ति—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड स्तर	चयन अथवा अवयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. कैंटीन परिचर	341* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजकपत्रित, अगनुसूचित	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 1800/- रु.	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवर्षा की अवधि यदि कोई हो
6	7	8	9
18-25 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार (सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है। पद रोजगार समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र में विज्ञापित किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक आवेदन मांगे जाते हैं।	मैट्रिकुलेशन या समतुल्य	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
10	11	12	13
सीधी भर्ती	लागू नहीं होता	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए): (क) अपर या संयुक्त आयकर आयुक्त (मुख्यालय) -अध्यक्ष (ख) उप आयकर आयुक्त (मुख्यालय) जहाँ कोई उप आयकर आयुक्त (मुख्यालय) नहीं है, तो उस क्षेत्र का वरिष्ठतम उप आयकर आयुक्त -सदस्य (ग) स्थानीय उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क -सदस्य (घ) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिकारी जिसका रैंक उप आयकर आयुक्त या संपर्क अधिकारी से कम न हो जब तक कि (क) से (ग) तक सदस्यों में से कोई एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो। -अतिरिक्त सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. सहायक	40* (2015)	साधारण केन्द्रीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये	अवयन

हलवाई-सह-रसोईया	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	सेवा समूह 'ग', असजपत्रित, अनुसूचिवीय	+ग्रेड वेतन 1900/- रु.	
-----------------	---	--------------------------------------	------------------------	--

6	7	8	9
18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है। पद रोजगार समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र में विज्ञापित किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक आवेदन मांगे जाते हैं।	(क) 10वीं कक्षा पास के साथ खानपान में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा (ख) अनुभव- एक वर्ष (ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता के निर्धारण के लिए स्वच्छता आदि बनाए रखने सहित भोजन बनाने के लिए व्यवसाय कौशल परीक्षण संचालित किया जाएगा। टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष, प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए शून्य

10	11
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. तथा ग्रेड वेतन 1800 रु. में ऐसे कैंटीन परिचर जिन्होंने तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा भोजन बनाने तथा स्वच्छता आदि बनाए रखने के लिए व्यवसाय कौशल परीक्षण संचालित करवाया जाएगा। टिप्पण 1.- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। टिप्पण 2.- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सट्टा पद धारण किए हुए हैं, या (ii) कैंटीन परिचर जो वेतन बैंड-1, 5200-20200 तथा ग्रेड वेतन 1800 रु. में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा के साथ हलवाई-सह-रसोईया के सहायक के रूप में एक वर्ष का अनुभव रखते हों; और (iii) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों। टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने

	की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होंगी। टिप्पण 2- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3- प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए उक्त ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।
--	--

12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए): (क) अपर या संयुक्त आयकर आयुक्त (मुख्यालय) - अध्यक्ष (ख) उप आयकर आयुक्त (मुख्यालय) जहाँ कोई उप आयकर आयुक्त (मुख्यालय) - सदस्य नहीं है, तो उस क्षेत्र का वरिष्ठतम उप आयकर आयुक्त (ग) स्थानीय उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क - सदस्य (घ) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिकारी जिसका रैंक - अतिरिक्त सदस्य उप आयकर आयुक्त या संपर्क अधिकारी से कम न हो जब तक कि (क) से (ग) तक सदस्यों में से कोई एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. हलवाई-सह-रसोईया	36* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसूचित	वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रुपये + ग्रेड वेतन 2000/- रु.	अध्ययन

6	7	8	9
18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती) टिप्पण :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है। पद रोजगार समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र में विज्ञापित किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक आवेदन मांगे जाते हैं।	क) 10वीं कक्षा पास के साथ खानपान में सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ख) अनुभव-सरकारी उपक्रम में दो वर्ष के अनुभव को वरीयता दी जाएगी। ग) अभ्यर्थी की उपयुक्तता के निर्धारण के लिए भोजन बनाने के लिए व्यवसाय कौशल परीक्षण संचालित किया जाएगा। टिप्पण : अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

10	11
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति :- ऐसे सहायक हलवाई-सह-रसोईया जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. तथा ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो। टिप्पण 1- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01.01.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। टिप्पण 2- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके

द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधिकारी— (क) (i) जो मूल कांडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) ऐसे सहायक हलवाई-सह-रसोईया (कुक) जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 तथा ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम तीन वर्षों की नियमित सेवा की हो; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हताएं तथा अनुभव रखते हों। टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2:- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए उक्त ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	
---	--

12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) ; (क) अपर या संयुक्त आयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) - अध्यक्ष (ख) उप आयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) जहाँ कोई उप आयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) - सदस्य नहीं है तो उस क्षेत्र का वरिष्ठतम उप आयुक्त आयुक्त (ग) स्थानीय उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क - सदस्य (घ) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिकारी जिसका रैंक - अतिरिक्त सदस्य उप आयुक्त आयुक्त या संपर्क अधिकारी से कम न हो जब तक कि (क) से (ग) तक सदस्यों में से कोई एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. लिपिक	99* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 1900/- रु.	अचयन

6	7	8	9
18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण:- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक	(क) वाणिज्य विषय के साथ 12वीं कक्षा पास या समतुल्य (ख) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखता हो (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन के औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष, प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए शून्य

रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है। पद रोजगार समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र में विज्ञापित किए जाने की दशा में आयु सीमा अकाशित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक आवेदन मांगे जाते हैं।	टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दशा में राक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं राक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर राक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित शक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	
---	---	--

10 प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर सीधी बर्ती द्वारा	11 प्रोन्नति :- ऐसे कैंटीन परिचर जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रु. तथा ग्रेड वेतन 1800 रु. में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। कैंटीन परिचरों की लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से संघटनात्मक व्यवहार, संचार कौशल और लेखा व्यवहार पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण बांछनीय होगा। टिप्पण 1:- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। टिप्पण 2:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
--	---

12 समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए): (क) अपर या संयुक्त आयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) - अध्यक्ष (ख) उप आयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) जहाँ कोई उप आयुक्त आयुक्त - सदस्य (ग) स्थानीय उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क - सदस्य (घ) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिकारी जिसका - अतिरिक्त सदस्य रैंक उप आयुक्त या संपर्क अधिकारी से कम न हो जब तक कि (क) से (ग) तक सदस्यों में से कोई एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो।	13 संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।
---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. सहायक प्रबंधक-सह-भंडारी	29* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचिकीय	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये + ग्रेड वेतन 2400/- रु. टिप्पण :- वह 'क', 'ख', 'ग', 'घ' '2-क' और '3-क' प्रकार की कैंटीनों में कर्तव्य करने के लिए 250 रु. प्रतिमाह और '4-क' प्रकार की तथा इससे ऊपर की कैंटीनों में 500 रुपये प्रति माह विशेष भत्ता भी प्राप्त करेगा।	अचयन

6	7	8	9
18-25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण :- आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने को कहा गया है। पद रोजगार समाचार पत्र अथवा समाचार पत्र में विज्ञापित किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक आवेदन मांगे जाते हैं।	क) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.कॉम. अथवा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विद्याशाखा में स्नातक के साथ बुक कीपिंग अथवा स्टोर कीपिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा ख) अनुभव :- किसी सरकारी विभाग अथवा उपक्रम में भंडार या लेखाओं के संचालन का तीन वर्षों का अनुभव टिप्पण 1:- अर्हता (अर्हताएं) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित स्थितियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष, प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए शून्य

10	11
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और दोनों के न हो सकने पर, सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति :- (i) ऐसे लिपिक जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. तथा ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। (ii) ऐसे हलवाई-सह-रसोईया जो वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. तथा ग्रेड वेतन 2000 रु. में पांच वर्ष नियमित सेवा के साथ भंडारों या लेखाओं के संचालन में दो वर्षों का अनुभव रखते हो और सीधी भर्ती किए जाने वाले लिपिक के लिए यथा विहित शैक्षिक अर्हता रखते हों अर्थात् वाणिज्य विषय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। टिप्पण 1:- प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1. 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्शिक्षित वेतन आधारीत विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी। टिप्पण 2:- जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के अधिकारी - (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपये तथा ग्रेड वेतन 1900 रु. में कम से कम आठ वर्षों की नियमित सेवा की हो। (iii) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं रखता हों, और (ख) किसी सरकारी विभाग अथवा उपक्रम में भंडार या लेखाओं के संचालन का तीन वर्षों का अनुभव हो। टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

	टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1.1.2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उन पदों पर विस्तारित होगा जिनके लिए उक्त ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।
--	---

12	13
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) ; (क) अपर या संयुक्त आयकर आयुक्त (मुख्यालय) - अध्यक्ष (ख) उप आयकर आयुक्त (मुख्यालय) जहाँ कोई उप आयकर आयुक्त- सदस्य (मुख्यालय) नहीं है तो उस क्षेत्र का वरिष्ठतम उप आयकर आयुक्त (ग) स्थानीय उप आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क - सदस्य (घ) एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अधिकारी - अतिरिक्त सदस्य जिसका रैंक उप आयकर आयुक्त या संपर्क अधिकारी से कम न हो जब तक कि (क) से (ग) तक सदस्यों में से कोई एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो।	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।